THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TURAN GOGOI): (a) to (d) As per the new Industrial Policy of July, 1991 most of the food processing industries have been granted high priority status and have been delicensed except the brewing and distillation of alcoholic drinks and those reserved for small scale industries.

As per the provisions contained in the Rice Milling Industry (Regulation) Act,. 1958 and Rules 19S9, licence is required for carrying out rice milling operations. The concerned State Governments are empowered to issue licences under Rice Milling Industry (Regulation) Act, 1959. However, the proposal for repealing the Rice Million Industry (Regulation) Act, 1958 and Rules is under consideration of the Government.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की यात्राएं

450. श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हाल ही में देश के विभिन्न स्थानों की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन यात्राओं के दौरान आयोग के अध्यक्ष को कुल कितनी याचिकाएं/ज्ञापन राज्यवार प्राप्त हुए तथा प्राप्त याचिकाओं/ज्ञापनों के स्वरूप का ब्यौरा क्या है ;

(घ) इन यात्राओं के क्या परिणाम निकले हैं ;

(ङ) इन यात्राओं पर अभी तक कितनी धनराशि खर्च हुई है ;

(च) क्या आयोग निकट भविष्य में कोई ऐसी यात्रा करने का विचार रखता है ; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान् । राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मार्च, 1994 से, आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश मेघालय, पंजाब और तमिलनाडु राज्यों का दौरा किया।

(ग) आयोग को, अपने दौरों के दौरान निम्नलिखित याचिकाएं ज्ञापन प्राप्त हुए :—

(1) आन्ध्र प्रदेश	1400
(2) असम	10
(3) बिहार	86
(4) मध्य प्रदेश	92
(5) मेघालय	शून्य
(6) पंजाब	171
(7) जम्मू और कश्मीर	46
(8) तमिलनाडु	198

ये याचिकाएं/ज्ञापन हिरासत में मृत्यु, लापता, पुलिस द्वारा सम्पत्ति पर गैर-कानूनी कब्जा, वारंट के बगैर गिरफ्तारी नजरबन्दी सहित मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोप से संबंधित हैं, इसके अतिरिक्त ये सरकारी कर्मचारियों की सेवा संबंधी याचिकायें, भूमि विवाद इत्यादि से भी संबंधित हैं ।

(घ) आयोग ने अभी तक तीन राज्यों नामत: असम, मेघालय और पंजाब के बारे में रिपोर्टें दी हैं ।

(ङ) ऊपर उल्लिखित राज्यों में पूरे आयोग के दौरों पर अभी तक आयोग ने लगभग 3.50 लाख रु० की राशि खर्च की है ।

(च) और (छ) जी हां, श्रीमान् । राज्यों का दौरा करना आयोग के कार्यक्रम का हिस्सा है ताकि जब कभी आवश्यक हो, वह मानव अधिकारों की स्थिति से परिचित हो सके ।